न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ. सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 9/2022 तारीख रजू 28.03.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

.....आवेदक

बनाम

विनोद कुमार सिंघल पुत्र श्री नवल किशोर सिंघल विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– विजय मावा भण्डार, ए–12, सब्जी मण्डी के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी– 207, सुरेश फ्लोर मिल के पास, जटवाडा खुर्द, सवाईमाधोपुर।

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii) सपठित धारा 51 एसएसएस एक्ट 2006

निर्णय दिनांक 29/8/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii) सपठित धारा 51 एसएसएस एक्ट 2006 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 03.03.2021 को मैसर्स–विजय मावा भण्डार, ए–12, सब्जी मण्डी के पास, बजरिया सवाई माधोपुर पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं का नाम विनोद कुमार सिंघल एवं स्वयं को फर्म का खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। आवेदक द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर संस्थान में 1 जूट के बेग में (प्लास्टिक कवर के अन्दर लगभग 20 किलो) खाद्य पदार्थ मावा आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसके अमानक का शक होने पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार सिंहल को सूचित करते गवाहान की उपस्थिति में 1 किग्रा मावा वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत खाद्य कारोबारकर्ता श्री विनोद कुमार सिंघल को 240/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता तथा गवाहान ने पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने गवाहान की उपस्थिति में खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा को 4 साफ, सूखे एवं खाली प्लास्टिक जारो में प्रत्येक में बराबर–बराबर डाला तथा प्रत्येक जार में परिरक्षक फार्मलीन की 20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–2027 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच–2027 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें । सीलबंद चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया, की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुष्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक को अभिहित अधिकारी के पत्रांक 1627 दिनांक 22.03.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/326/एक्ट/2021/408 दिनांक 15.03.2021 के अनुसार उक्त खाद्य वस्तु मावा का नमूना अनसेफ एवं सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है, जिसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को नियम 2.4.2 (6) के तहत देते हुए धारा 46 की उपधारा (4) के तहत फार्म नं. 8 में नमूने की पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत 30 दिवस का समय दिया गया। विक्रेता द्वारा रेफरल लेब में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नमूना जांच हेतु रेफरल लेब पुणे भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अनुसार नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का निर्माण/विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है। अतः अभियुक्त पर अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य सामग्री मावा को सब स्टेण्डर्ड प्रकृति का माना जाकर स्वंय द्वारा जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम पेनल्टी राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर [illegible] के खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/326/एक्ट/2021/408 [illegible] पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट RFL/P/DO/316/21/445/2021 दिनांक 30.6.2021 से [illegible] हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर/पुणे से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा [illegible] जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) पाया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिसको अभियुक्त द्वारा स्वंय ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। तथा जॉच दोनो लेबो की जॉच से प्रमाणिक है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:36 IST
Reason: SelfAttested